(2020) 13 एस.सी.आर 4530
टिट्टी उर्फ जॉर्ज कुरियन
बनाम
द डिप्टी रेंज फारेस्ट ऑफिसर

पुनरावलोकन याचिका (फौजदारी) नं0 593/ 2018 फौजदारी अपील सं0 758/ 2018

जस्टिस आशोक भूषण और इंदु मल्होत्रा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 धारा 9, 11, 12, 39 ए, 494, 51 अनुसूची 1 का भाग । - उत्तरदाता से जब्त कछुआ– आपराधिक कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त की गयी– अवधारित किया गया कि निर्णय दिनांकित 16.05.2018 अपास्त लिया गया – धारा 11 और 12 के प्रावधानों को छोड़कर अनुसूची I, II, III और IV धारा 9 के तहत किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाती है, – तथ्यों के अनुसार जब्त कछुआ II, अनुसूची । में शामिल नहीं है और इसे जब्ती के दूसरे दिन ही मुक्त कर दिया गया था, इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की।

कोर्ट ने पुनरावलोकन याचिका मंजूर करते हुए अपील खारिज कर दी

अवधारित किया गया कि–
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, धारा 11 और 12 के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर अनुसूची I, II, III और IV के तहत किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाती है। अनुसूची । से IV में सम्मिलित वन्य जीव जन्तुओं का शिकार यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह संदर्भित अधिनियम 1972 की धारा 51 के अंतर्गत दण्डनीय है। पशु चिकित्सा सर्जन द्वारा दिये गये पत्र के अवलोकन के अनुसार पशु चिकित्सक सर्जन द्वारा कछुए की 'इंडियन फ्लैप शेल (Lissemy's Punctata)' के रूप में पहचान की, जबकि संदर्भित अधिनियम, 1972 के भाग II की अनुसूची । में शामिल है, कछुआ '' भारतीय सॉफट'–शेल्ड कछुआ (Lissemy's Punctata Punctata)'' है। Lissemy's Punctata एक प्रजाति है जिसकी Lissemy's Punctata अवजाति है। यद्यपि Lissemy's Punctata संदर्भित अधिनयम के भाग II की अनुसूची । में शामिल है, परन्तु जिस कछुआ जब्त किया गया था, वह भाग । की अनुसूचि में शामिल नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार जब्त किया कछुआ अनुसूची । भाग II में शामिल नहीं है और कछुआ पहले से निर्मुक्त किया जा चुका है। उच्च न्यायालय द्वारा वन्य जीवन अभियोग की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की तथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई उचित आधार नहीं है। **(पैरा 12–14)(1233–एचः 1234–एडी)**

1230 टिट्टी उर्फ जॉर्ज कुरियन बनाम डिप्टी रेंज वन अधिकारी

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकारः पुनरावलोकन याचिका(फौजदारी) 593/2018
आपराधिक अपील संख्या 785/2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.05.2018 से 2018 की आपराधिक अपील संख्या 758 में
अभिलाष एम.आर., मौहम्मद सादिक टी.ए. निशे राजेन शोंकर, (पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता)

जस्टिस अशोक भूषण

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिलाष एम.आर. और उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री निशे राजेन शोंकर को सुना है।

2 निर्णय दिनांकित 16.05.2018 को पुनरावलोकन करने का पर्याप्त आधार है। इस न्यायालय का आदेश दिनांकित 16.05.2018 वापस लिया जाता है।पुनरावलोकन याचिका स्वीकार की जाती है

3. प्रस्तुत अपील केरल उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध दायर की गई है, उक्त आदेश में केरला उच्च न्यायालय ने आपराधिक एम.सी0 सी0 सी0 को स्वीकार करते हुए सी.सी. नं0–706/2016 की कार्यवाही को अपास्त किया था, उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर डिप्टी रेंज वन अधिकारी द्वारा अपील दायर की गयी थी।

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न हैः–

दिनांक 25.07.2016 को उत्तरदाता टिटटी उर्फ जॉर्ज कुरियन से एक कछुआ करूंबनाकुलम में स्कवॉयर रेंज स्टाफ के रानी फारेस्ट द्वारा जब्त किया गया था। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39 ए, 49 ए, और 51 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। वन्य पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। कछुए को जब्त करने के बाद उसे पहचान के लिए पशु चिकित्सा सर्जन के पास भेजा गया, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 26.07.2016 द्वारा निरीक्षण के दौरान कछुए की पहचान '' इंडियन फलैप शेल'' के रूप में की जिसका वैज्ञानिक नाम '' Lissemy's Punctata '' है। न्यायालय ने 27.07.2016 को कछुए को मुक्त करने का निर्देश दिया (सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2020 12 एस.सी.आर.)

5. उत्तरदाता/अभियुक्ता ने अपराधिक कार्यवाही को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया उच्च न्यायालय के समक्ष कथन किया गया था कि भारतीय फलैप शैल कछुआ जिसे जब्त किया गया था उसे वन्य जीवन संरक्षण अधि0 1972 के भाग 2 की अनुसूची 1 में शामिल नहीं पाया गया था उक्त प्रजाति में से अभियुक्त के विरूध कोई अभियोग आकर्षित नहीं होगा उच्च न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट है कि जब्त किया गया कछुआ उस प्रजाति के कछुए में नही आता जो अधि0 1972 की अनुसूची के भाग 2 में आता हो, इस कारण उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया गया उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर डिप्टी रेंज फारेस्ट आॅफिसर द्वारा प्रस्तुत अपील दाखिल की गयी।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि क्या भारतीय सॉफ्ट शैल कछुआ (Lissemy's Punctata Punctata) और इण्डियन सैल टर्टल (Lissemy's Punctata) दो अलग अलग प्रजातियां है अथवा एकल प्रजाति के भाग हैं अथवा उपप्रजातियां है यह तथ्य विशेषज्ञ साक्ष्य का मामला है तथा उक्त तथ्य का निस्तारण विचारण के पश्चात ही किया जा सकता है इस कारण उच्च न्यायालय द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए त्रुटि कारित की है।

7. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि जब कछुआ जब्त किया गया था, तब वन्य जीव संरक्षण अधि 1972 की अनुसूची में नहीं आता था इस कारण उत्तरदाता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने का कोई आधार नहीं है तथा उच्च न्यायालय द्वारा उचित प्रकार से अभियोग के पंजीकृत को अपास्त किया गया जिस में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि कछुआ 25.07.216 को जब्त किया गया था तथा 27.07.2016 को मुक्त कर दिया गया तथा कछुआ अग्रेतर परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं था। पशु चिकित्सा सर्जन की आख्या में केवल उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है तथा उक्त नाम अधिनियम 1972 की अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आता

8. विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का परीशीलन किया गया

9. उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी एम.सी. को स्वीकार करते हुए निम्न आधार लिये गये–

> **''4, अधिनियम के भाग II की अनुसूची I यह वर्णन करती है कि प्रदर्श सं08 भारतीय साफटशैल टर्टल (Lissemy's Punctata Punctata) है वरिष्ठ पशु चिकित्सा सर्जन के द्वारा रेज आॅफिसर को यह प्रमाण पत्र जारी किया गया कि प्रस्तुत केस में जो कछुआ जब्त किया गया है वह इण्डियन फलैपशैल टर्टल (Lissemy's Punctata) है तथा उपरोक्त अनुसूची में इण्डियन फलैप शैल टर्टल की प्रजाति उपलिखित नहीं है इसलिए प्रश्नगत कछुआ इण्यिन सॉफट शैल टर्टल की श्रेणी में नहीं आता इस कारण उक्त कछुए का पकड़ना अथवा उसका कब्जा बन्य जीव संरक्षण अधि के अन्तर्गत अभियोग नहीं हैं,इस कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग ओ आर नम्बर 5/ 2016 पर आधारित है, कंजीरा पल्ली के न्यायालय में लम्बित सी.सी.नम्बर 706/ 2016 उक्त कार्यवाही जो इरूमल्ली फॉरेस्ट रेंज आॅफिसर द्वारा उत्तरदाता के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही अपास्त किए जाने योग्य है''**

10. 25.07.2016 को कछुए के जब्तिकरण के पश्चात अगले दिन डिप्टी रेंज आॅफिसर द्वारा पशु चिकित्सा सर्जन को कछुए की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किया गया निर्देश के पश्चात दिनांक 26.07.216 को पशु चिकित्सा सर्जन ने रेंज आॅफिसर को इस आशय का पत्र लिया गया

> "From,
>
> Dr. Anil Kumar T Senor Veterinary Surgeon B.V. Sc & A.H. Veterninary Hospital Reg no 1329, Erumely. To range Officer Erumely, Erumely.
>
> Subject: Species Identification Refernece: Deputy Range Officer on As per the above reference on 26.07.2016 a turtle belongine to a turtle family was brought for identification, and on inspection it is found that the turtle is Indian Flap Shel and the scientific name is "Lissemy's Punctata" and therefore it is certified. 26–07–2016 Erumely"

11. पशुचिकित्सक सर्जन द्वारा कछुए को इण्डियन फ्लैप सैल (**Lissemy's Punctata**) आइटम नम्बर 8 अनुसूची I भाग II वर्णित किया गया

> "8, Indian Soft–shelled Turtle (Lissemys punctate punctata)"

12. संदर्भित अधिनियम 1972 की धारा 9, अनुसूची I,II,III तथा धारा 11 के परंतुक में वर्णित को छोड़कर अनुसूची 4 एवं धारा 12 किसी वन्य जीव के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाती है धारा 11

व 12 यह प्रावधान करती है कि मुख्य वन्य जीव वार्डन की अनुज्ञप्ति के अनुसार किस स्थान शिकार अनुमान्य है अनुसूची । से ।V में समाहित वन्य जीव का यदि किसी व्यक्ति द्वारा शिकार किया जाता है तो वह अधि 1972 की धारा 51 के तहत दण्डित किए जाने योग्य है।

13. पशु चिकित्सा सर्जन के द्वारा प्रेषित पत्र के परीशीलन से यह स्पष्ट है कि सर्जन द्वारा कछुए को इण्डियन फ्लैप सैल (**Lissemy's Punctata**) के रूप में पहचाना गया, जो संदर्भित अधिनियम के भाग ।। की अनुसूची । के अन्तर्गत आता है लिस्मस (**Lissemy's Punctata Punctata**), **Lissemy's Punctata** एक प्रजाति है, जो **Lissemy's Punctata** की अवजाति है। यद्यपि **Lissemy's Punctata** संदर्भित अधिनियम के भाग ।। की अनुसूची । के अन्तर्गत आती है परन्तु कछुआ जो जब्त किया गया था वह भाग ।। के अनुसूची । के अन्तर्गत नहीं आता। वर्तमान वाद के तथ्यों के अनुसार कछुआ जो जब्त किया गया वह अनुसूची । के भाग ।। के अन्तर्गत नहीं आता तथा कछुआ जब्ती के अगले दिन ही निर्मुक्त किया जा चुका है इस कारण उच्च न्यायालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण के अभियोग के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यवाही को अपास्त करने के कारण कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

14. उच्च न्यायालय द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई त्रुटि कारित नही की है इस कारण उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है। सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर अपील निरस्त की जाती है तथा पुनरावलोकन याचिका स्वीकृत की जाती है।
दिव्या पाण्डे– अपील निरस्त व पुनरावलोकन याचिका स्वीकृत।

अनुवादकः–

रेशमा चौधरी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6230